


24.01.24

उत्पन्न फल उपर साह्यवारी आज भी प्रस्तुत नहीं किये हैं
पूर्व में साधारण व कोर्ट पर अवसर दिने जा चुके हैं
पत्रावली वाले साह्यवारी अभाव में रसी भर पर खारिज
की जायी है तब से क्रम हो

आदेश सुनना गया


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)